**To Provide Basic Amenities in Irregular Colonies**

**\*54. Sh. SURENDER PANWAR (Sonipat)**

 Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

1. the number of unauthorized colonies in Sonepat Assembly Constituency together with the time by which the said colonies are likely to be regularized;
2. the details on the basis of which the said colonies have been declared unauthorized; and
3. Whether there is any proposal under consideration of the Government to provide the basic amenities like sewerage line and drinking water pipeline in the abovesaid unauthorized colonies; if so, the details thereof?

 **DR. KAMAL GUPTA, URBAN LOCAL BODIES MINISTER, HARYANA**

 Sir,

1. There are total 35 numbers of unauthorised colonies identified in Sonipat assembly constituency, under the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 amended in 2021. These may be notified as “declared area” in next 3 months, depending on the fulfilment of specified parameters by each colony.
2. Being developed in violation of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975, the said colonies have been declared unauthorised.
3. A colony after being notified as “declared area” under the Haryana Management of Civic Amenities and Infrastructure Deficient Municipal Areas (Special Provisions) Act, 2016 amended in 2021, these becomes eligible for development of civic amenities by the Municipality.

**अनियमित कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना**

 **\*54 श्री सुरेन्द्र पंवार (सोनीपत):**

 क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि :-

(क) सोनीपत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या कितनी है तथा उक्त कॉलोनियां को कब तक नियमित किये जाने की संभावना है;

(ख) उक्त कॉलानियां को अनधिकृत घोषित किये जाने के आधार का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) क्या उपरोक्त अनधिकृत कॉलोनियों में सीवरेज लाइन तथा पीने के पानी की पाइपलाइन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

 **डॉ. कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा**

 श्री मान,

क) सोनीपत विधानसभा क्षेत्र में कुल 35 अनधिकृत कॉलोनियों की पहचान हरियाणा नगरपालिका अपूर्ण क्षेत्रों में नागरिक सुखसुविधाओं तथा अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबंध) अधिनियम 2016 संशोधित वर्ष 2021 के अतंर्गत की गई है। जिन में से प्रत्येक को प्राथमिकता के आधार पर आगामी तीन मास के अन्दर निर्दिष्ट मापदंडों की पूर्ति होने पर ‘‘घोषित क्षेत्र‘‘ के रूप में अधिसूचित कर दिया जायेगा।

ख) हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की उल्लंघना कर विकसित हुई कॉलोनियों को अनधिकृत घोषित किया गया है।

ग) हरियाणा नगरपालिका क्षेत्रों में अपूर्ण नागरिक सुखसुविधाओं और अवसंरचना का प्रबन्धन (विषेष उपबंध) अधिनियम 2016, संशोधित वर्ष 2021 के तहत ‘‘घोषित क्षेत्र‘‘ होने के बाद, ये कॉलोनी नागरिक मूलभूत सुविधाओं के लिए पात्र होगी।